

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 05-05-2025

विषय सूची

राष्ट्रपति ने विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता पर बल दिया
 आर्कटिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती भागीदारी
 जीनोम-संपादित बीजों से दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत होगी
 एग्रीफोटोवोल्टिक्स: कृषि के साथ सौर ऊर्जा का एकीकरण
 जैव विविधता तक पहुँच और लाभ साझा करने के लिए नए नियम

संक्षिप्त समाचार

चिनाब नदी

कालेश्वरम लिप्ट सिंचाई परियोजना (KLIP)

ECINET: ECI का वन-स्टॉप इलेक्टोरल टेक प्लेटफॉर्म

मुक्त आवागमन व्यवस्था

भारत-बेल्जियम साझेदारी

भारत MICE पर्यटन की राजधानी बनने की ओर अग्रसर

स्ट्रोटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म

इंग्लॉ-एस मिसाइलें

मिथिडाटिज्म

खेलो इंडिया युवा खेलों का 7वां संस्करण

राष्ट्रपति ने विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता पर बल दिया

समाचार में

- मेडिएशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (MIA) द्वारा आयोजित पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन के उद्घाटन पर, राष्ट्रपति ने विवादों को सुलझाने और देश भर में अदालतों के भार को कम करने के लिए मध्यस्थता पर बल दिया।

मध्यस्थता क्या है?

- मध्यस्थता एक स्वैच्छिक, गोपनीय और गैर-विवादास्पद प्रक्रिया है, जहाँ एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष विवादित पक्षों को आपसी सहमति से समाधान तक पहुँचने में सहायता करता है।
- यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र है, जिसमें मध्यस्थता, वार्ता और सुलह भी शामिल हैं।

भारत में न्यायिक लंबित मामलों की स्थिति

- भारत की न्यायपालिका अत्यधिक भार से ग्रस्त है, जिससे न्याय में विलंब हो रही है और जनता का विश्वास प्रभावित हो रहा है।
- 2024 तक भारतीय अदालतों में 5.1 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें 71,000 से अधिक मामले उच्चतम न्यायालय में, लगभग 60 लाख उच्च न्यायालय में और करीब 4.5 करोड़ जिला व अधीनस्थ अदालतों में हैं।
- न्यायपालिका में लगभग 25,000 स्वीकृत न्यायाधीशों के पदों में से केवल 20,000 ही कार्यगत हैं, जिससे 20% रिक्ति दर बनी हुई है।
- भारत में प्रति दस लाख की जनसंख्या पर मात्र 21 न्यायाधीश हैं, जबकि विधि आयोग द्वारा अनुशंसित अनुपात 50 न्यायाधीश प्रति दस लाख है।

मध्यस्थता का महत्व

- मामलों की संख्या घटती है – छोटे मामलों को अदालत से बाहर सुलझाकर न्याय प्रणाली को राहत मिलती है।

- तेजी से समाधान – अधिकतर मामले कुछ बैठकों में सुलझ जाते हैं।
- कम खर्चीला – अदालत और वकीलों की लागत बचती है।
- रिश्तों को बनाए रखता है – परिवार और व्यापारिक विवादों के लिए उपयोगी।
- पक्षकारों को सशक्त बनाता है – समाधान न्यायिक थोपने के बजाय आपसी सहमति से आता है।

मध्यस्थता से संबंधित कानूनी प्रावधान एवं संस्थागत समर्थन

- न्यायिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 – लोक अदालतों की स्थापना करता है जो मध्यस्थता जैसी प्रक्रिया अपनाते हैं।
- नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908 की धारा 89 – अदालतों को विवादों को मध्यस्थता जैसे ADR तंत्र में भेजने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- मध्यस्थता अधिनियम, 2023 – भारत में मध्यस्थता को संस्थागत रूप से लागू करने के लिए बनाया गया।
 - अनिवार्य पूर्व-मुकदमा मध्यस्थता – नागरिक और वाणिज्यिक मामलों के लिए।
 - मध्यस्थता परिषद की स्थापना – मध्यस्थता को नियंत्रित करने, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए।

भारत में वर्तमान वाणिज्यिक विवाद समाधान

- वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 – ₹3 लाख से अधिक के मामलों के लिए तेज न्याय प्रणाली।
- मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 – संस्थागत व अनौपचारिक मध्यस्थता को वैध बनाता है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 – उपभोक्ता विवादों को जल्दी और किफायती तरीके से सुलझाने को बढ़ावा देता है।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत ने सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन पर हस्ताक्षर किए हैं।

चुनौतियाँ

चुनौतियाँ	विवरण
जागरूकता की कमी	कई लोग और वकील मध्यस्थता के लाभों से अनभिज्ञ हैं।
कानूनी पेशेवरों का प्रतिरोध	वकील वित्तीय कारणों से लम्बी सुनवाई को प्राथमिकता दे सकते हैं।
अपर्याप्त प्रशिक्षण	विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित मध्यस्थों की कमी है।
जनता का कम भरोसा	बातचीत से हुए समझौतों की अपेक्षा न्यायालय के निर्णयों को प्राथमिकता दी जाएगी।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ

- सिंगापुर और इटली:** कई विवादों के लिए मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता अनिवार्य है।
- यू.के. और ऑस्ट्रेलिया:** उच्च सफलता दर वाले अच्छी तरह से वित्तपोषित सार्वजनिक मध्यस्थता केंद्र।
- यू.एस.ए.:** 90% से अधिक दीवानी विवादों का निपटारा ADR के माध्यम से किया जाता है।

हाल की सरकारी और न्यायिक पहल

- ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना:** लंबित मामलों को कम करने के लिए डिजिटलीकरण।
- टेली-लॉ और न्याय बंधु योजनाएँ:** तकनीकी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके कानूनी सहायता।
- उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति (MCPC):** सभी अदालतों में मध्यस्थता को बढ़ावा देती है।
- फास्ट ट्रैक कोर्ट और ग्राम न्यायालय:** अतिरिक्त विवाद समाधान तंत्र।

आगे की राह

- कानूनी ढाँचे को मजबूत करना:** मध्यस्थता अधिनियम, 2023 का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

- जागरूकता अभियान:** नागरिकों के बीच मध्यस्थता साक्षरता को बढ़ावा देना।
- क्षमता निर्माण:** अधिक मध्यस्थों को प्रशिक्षित करना और उन्हें राष्ट्रीय निकाय के अंतर्गत मान्यता देना।
- न्यायिक सहायता:** न्यायाधीशों को अधिक मामलों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- डिजिटल मध्यस्थता प्लेटफॉर्म:** तेज़ परिणामों के लिए ODR (ऑनलाइन विवाद समाधान) का उपयोग करना।
- परिणामों की निगरानी:** मध्यस्थता की सफलता और बैकलॉग प्रभाव का आकलन करने के लिए डेटाबेस बनाना।

Source: TH

आर्कटिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती भागीदारी

समाचार में

- आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 में, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आर्कटिक क्षेत्र के वैश्विक महत्व और इसमें भारत की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित किया।

आर्कटिक क्षेत्र

- यह एक विशाल और विविध क्षेत्र है, जो 24 समय क्षेत्रों, आठ देशों और तीन महाद्वीपों में फैला हुआ है, जहाँ जलवायु परिस्थितियाँ, विकास स्तर और सांस्कृतिक परिदृश्य भिन्न हैं।
- इसमें हिम रहित क्षेत्र जैसे नॉर्वे और उत्तर-पश्चिम रूस के कुछ हिस्से शामिल हैं, जबकि अलास्का और कनाडा जैसे क्षेत्रों में बर्फ से ढका भूभाग है।
- यह कभी वैज्ञानिक सहयोग एवं पर्यावरण संरक्षण का केंद्र था, लेकिन बढ़ती वैश्विक रुचि के कारण अब सैन्य और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्थल बन रहा है।

भारत की आर्कटिक रणनीति

- इसकी शुरुआत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हुई थी, लेकिन

2020 के दशक की शुरुआत से इसमें व्यापक भू-राजनीतिक विचार शामिल होने लगे।

- भारत 2008 से आर्कटिक में मौजूद है, जब उसने स्वालबार्ड में हिमाद्री अनुसंधान केंद्र की स्थापना की।
- 2022 में, भारत ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को औपचारिक रूप दिया और आर्कटिक नीति जारी की।
- इस बदलाव के पीछे वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में बदलाव प्रमुख थे, जिसमें रूस और पश्चिमी देशों के बीच बिंगड़ते संबंध और आर्कटिक क्षेत्र में रूस के साथ चीन का बढ़ता सहयोग शामिल था।
- भारत की 2022 की आर्कटिक नीति जलवायु विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर केंद्रित है, जो दक्षिण एशिया के जल सुरक्षा और मानसूनी चक्रों पर आर्कटिक के प्रभाव को रेखांकित करती है।

भारत आर्कटिक में क्यों रुचि रखता है?

- भारत की आर्कटिक में रुचि नार्दर्न सी रूट (NSR) के बुनियादी ढाँचे के विकास में सहायता करने से जुड़ी है ताकि आर्कटिक संसाधनों, जैसे गैस और महत्वपूर्ण खनिजों तक पहुँच प्राप्त की जा सके, जो भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं।
- भारत रूस को अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के प्रति प्रतिबद्ध करने का भी प्रयास कर रहा है, जिससे भारत को रूस और नॉर्डिक-बाल्टिक क्षेत्र से जोड़ने में सहायता मिलेगी।
- यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का एक वैकल्पिक मार्ग साबित हो सकता है।

सुझाव और आगे की राह

- भारत की आर्कटिक भूमिका विकसित हो रही है, क्योंकि वह जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियों से गुजर रहा है।
- आर्कटिक में भारत की भागीदारी उसकी वैश्विक स्थिति को मजबूत कर सकती है और नॉर्डिक देशों के साथ संबंध सुधार सकती है।

- भारत को यूरोप में रूस की युद्ध स्थिति के प्रति अपनी नीति को ध्यान में रखते हुए आर्कटिक हितों में संतुलन बनाना चाहिए।
- भारत को यूरोप, विशेषकर नॉर्डिक देशों के साथ सहयोग को बढ़ाना चाहिए, खासकर बुनियादी ढाँचे, डिजिटलीकरण और पर्यावरण संरक्षण में संयुक्त पहल पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
- भारत को अधिक रणनीतिक आर्कटिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जिसमें विज्ञान से आगे बढ़कर सहभागिता पर ध्यान देना, समान विचारधारा वाले आर्कटिक देशों से संबंध मजबूत करना तथा उभरते आर्कटिक शासन मंचों में भूमिका निभाने की कोशिश करना सम्मिलित है।

Source: Air

जीनोम-संपादित बीजों से दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत होगी

प्रसंग

- केंद्रीय कृषि मंत्री ने दो जीनोम-संपादित चावल की किस्मों के विकास की घोषणा की और कहा कि यह तकनीकी प्रगति देश में दूसरी हरित क्रांति लाने में सहायक होगी।

जीनोम एडिटिंग क्या है?

- जीनोम एडिटिंग उन तकनीकों के समूह को संदर्भित करता है जो वैज्ञानिकों को किसी जीव के DNA को सटीक रूप से संशोधित करने में सक्षम बनाती हैं।
- सबसे उन्नत उपकरणों में से एक CRISPR-Cas9 (क्लस्टर्ड रेग्युलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रीपीट्स-एसोसिएटेड प्रोटीन 9) है, जो आणविक कैंची की तरह कार्य करता है और DNA के विशिष्ट भागों को काट सकता है।
 - यह सटीक सुधार या संशोधन की अनुमति देता है बिना विदेशी DNA को शामिल किए, जो इसे पारंपरिक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म (GMOs) से अलग करता है।

- भारत में, साइट-डायरेक्टेड न्यूक्रिलएज (SDN)-1 और SDN-2 जीनोम एडिटिंग तकनीकों को सामान्य फसलों के लिए जैव सुरक्षा नियमों के अंतर्गत अनुमति दी गई है।

ICAR द्वारा विकसित जीनोम-संपादित चावल

- ICAR (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) ने भारत के प्रथम जीनोम-संपादित चावल की किस्में विकसित की हैं – **DRR Rice 100 (कमला)** और **Pusa DST Rice 11**
- 2018 में, ICAR ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि के अंतर्गत संभा मट्स्यरी और **MTU 1010** जैसी दो प्रमुख चावल की किस्मों में सुधार के लिए जीनोम एडिटिंग अनुसंधान प्रारंभ किया।
- ये नई किस्में **CRISPR-Cas** आधारित जीनोम एडिटिंग तकनीक से विकसित की गई हैं।
- इस शोध का परिणाम दो उन्नत किस्मों के रूप में सामने आया है, जो निम्नलिखित लाभ प्रदान करती हैं:
 - उपज में 19% की वृद्धि
 - ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 20% की कमी
 - सिंचाई जल की 7,500 मिलियन घन मीटर की बचत

CRISPR-आधारित प्रौद्योगिकियाँ क्या हैं?

- CRISPR-Cas प्रणाली सटीक स्थानों पर DNA अनुक्रमों को काटने, हटाने या जोड़ने का एक उपकरण है, जो आनुवंशिक विकारों के उपचार, सूखा प्रतिरोधी पौधों को विकसित करने और खाद्य फसलों को संशोधित करने के लिए अलग-अलग मार्ग खोलता है।
- CRISPR कुछ बैक्टीरिया में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली के एक हिस्से के रूप में जो वायरल DNA को पहचानकर और नष्ट करके संक्रमण को सीमित करता है।

दूसरी हरित क्रांति की दिशा में कदम

- उच्च उपज: जीनोम-संपादित किस्में उच्च उपज प्रदान करती हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे प्रथम हरित क्रांति के

दौरान उच्च उपज वाली किस्मों ने खाद्य उत्पादन को बढ़ाया था।

- मजबूत जलवायु अनुकूलता:** प्रथम हरित क्रांति की फसलों के विपरीत, ये नई किस्में सूखे, लवणता और गर्मी को सहन करने में सक्षम हैं, जिससे वे वर्तमान और भविष्य की जलवायु परिस्थितियों के लिए अधिक अनुकूल हैं।
- संसाधनों का कुशल उपयोग:** ये नई फसलें कम जल का उपयोग करती हैं और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करती हैं, जिससे प्रथम हरित क्रांति के दौरान देखी गई जल और रसायनों के अधिक उपयोग को सुधारने में सहायता मिलेगी।
- रासायनिक निर्भरता में कमी:** कीटों और बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होने के कारण, जीनोम-संपादित फसलें कीटनाशकों और उर्वरकों की आवश्यकता को कम करती हैं, जिससे लागत और पर्यावरणीय हानि कम होती है।

चिंताएँ

- वैश्विक नियामक सहमति:** हालाँकि भारत में SDN-1 और SDN-2 तकनीकों का उपयोग करके जीनोम एडिटिंग की अनुमति है, कई देशों ने अभी तक इन तकनीकों पर अपना अंतिम रुख स्पष्ट नहीं किया है। इससे जीनोम-संपादित कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावनाएँ सीमित हो सकती हैं।
- कॉर्पोरेट नियंत्रण:** यदि निजी कंपनियाँ जीनोम एडिटिंग उपकरणों और उनके द्वारा विकसित बीजों पर पेटेंट या विशेष अधिकार रखती हैं, तो किसानों को महँगे, स्वामित्व वाले तकनीकी समाधानों पर निर्भर रहना पड़ सकता है।
- आनुवंशिक जैव विविधता को खतरा:** कुछ उच्च-प्रदर्शन वाली जीनोम-संपादित किस्मों पर अत्यधिक निर्भरता से विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलों की विविधता कम हो सकती है।

आगे की राह

- इन किस्मों का विकास भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने और सतत कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- भारत सरकार ने 2023-24 के बजट में कृषि फसलों में जीनोम एडिटिंग के लिए ₹500 करोड़ का आवंटन किया है।
- ICAR ने तेल बीजों और दलहन सहित कई फसलों के लिए जीनोम एडिटिंग अनुसंधान भी प्रारंभ किया है।
- भारत सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देने, नियमों को सुव्यवस्थित करने, और वैज्ञानिकों और किसानों के बीच क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि इस तकनीक का उत्तरदायी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

Source: TH

एग्रीफोटोवोल्टिक्स: कृषि के साथ सौर ऊर्जा का एकीकरण

प्रसंग

- विश्व सौर दिवस, जिसे 3 मई को मनाया जाता है, ने विशेष रूप से कृषि में सौर ऊर्जा की परिवर्तनकारी क्षमता को उजागर किया।

एग्रीफोटोवोल्टैक्स के बारे में

- एग्रीफोटोवोल्टैक्स (APVs) भोजन और ऊर्जा उत्पादन के लिए एक द्विउपयोगी समाधान प्रदान करता है, जिसमें कृषि के साथ सौर पैनलों का एकीकरण किया जाता है।
- यह भूमि उपयोग दक्षता को अधिकतम करता है, जिससे ऊँचे सौर पैनलों के नीचे फसलें बढ़ सकती हैं, साथ ही विद्युत भी उत्पन्न होती है।
- एग्रीफोटोवोल्टैक्स की उत्पत्ति
 - यह 1981 में जर्मन वैज्ञानिक एडॉल्फ गोएट्जबर्गर और आर्मिन जास्टरो द्वारा पहली बार प्रस्तावित किया गया था।
 - इस अवधारणा में सौर मॉड्यूल्स को ऊँचा उठाना

शामिल है, जिससे सूर्य का प्रकाश फसलों तक पहुँचे, साथ ही सौर ऊर्जा का दोहन किया जा सके।

भारत में सौर ऊर्जा: प्रमुख उपलब्धियाँ

- 100 गीगावाट सौर क्षमता का माइलस्टोन:** भारत का सौर क्षेत्र विगत एक दशक में 3450% बढ़ा है, जो 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर 31 जनवरी, 2025 को 100.33 गीगावाट हो गया है।
- रिकॉर्ड-तोड़ सौर स्थापनाएँ:** 2024 में, भारत ने 24.5 गीगावाट सौर क्षमता जोड़ी, जो 2023 की स्थापनाओं से दोगुनी से भी अधिक है।
 - उपयोगिता-पैमाने पर सौर क्षमता में 2.8 गुना वृद्धि देखी गई, 2024 में 18.5 गीगावाट स्थापित की गई।

किसानों के लिए लाभ

- APVs माइक्रोक्लाइमेटिक परिस्थितियाँ बनाते हैं, जिससे जल वाष्पीकरण कम होता है और फसलें अत्यधिक गर्मी से बचती हैं, जिससे कृषि में स्थायित्व बढ़ता है।
- किसान अतिरिक्त सौर ऊर्जा को ग्रिड में बेच सकते हैं, जिससे निश्चित राजस्व स्रोत सुनिश्चित होता है।

भारत में एग्रीफोटोवोल्टैक्स की सफलता की कहानियाँ

- नजफगढ़, दिल्ली पायलट परियोजना:** एक किसान ने अपनी भूमि एक सौर कंपनी को ₹1 लाख प्रति एकड़ वार्षिक किराए पर दी, जिससे स्थिर आय सुनिश्चित हुई।
 - यदि किसान आलू, टमाटर और हल्दी जैसी छायादार फसलें उगाते हैं, तो उनकी आय ₹1.5 लाख प्रति एकड़ तक पहुँच सकती है, जो पारंपरिक कृषि की तुलना में छह गुना अधिक है।

नीतिगत समर्थन से एग्रीफोटोवोल्टैक्स को बढ़ाना

- PM-KUSUM में APVs को शामिल करना:** भारत में एग्रीवोल्टैक्स नीति का अभाव है, लेकिन PM-KUSUM कृषि सौरकरण कार्यक्रम में APVs को शामिल करने से इसके प्रसार में तेजी आ सकती है।

- ▲ PM-KUSUM के अंतर्गत ग्रिड-कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्रों को दोहरे उपयोग मॉडल अपनाने चाहिए, जिससे एक साथ फसल उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन संभव हो।
- **किसानों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन:** APV प्रतिष्ठानों के लिए क्रेडिट गारंटी और सब्सिडी का विस्तार छोटे किसानों (जिनकी भूमि 2 हेक्टेयर से कम है) को सौर कृषि अपनाने में सहायता कृषि भूमि पर उत्पन्न सौर ऊर्जा के लिए फीड-इन टैरिफ (FiTs) बढ़ाना
- **क्षमता निर्माण और तकनीकी प्रशिक्षण:** APV प्रबंधन में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकारी समर्थित कार्यक्रम किसानों को सौर ऊर्जा को पारंपरिक कृषि से जोड़ने में मदद

चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ

- **केवल पायलट परियोजनाओं तक सीमित:** APVs अभी अनुसंधान संस्थानों और निजी डेवलपर्स द्वारा संचालित पायलट परियोजनाओं तक सीमित हैं।
 - ▲ APVs को बढ़ाने के लिए नीतिगत समर्थन, वित्तीय प्रोत्साहन और जागरूकता अभियानों की जरूरत है।
- **संरचना और निवेश आवश्यकताएँ:** किसानों को APV प्रतिष्ठानों के लिए वित्तपोषण तक पहुँच की आवश्यकता है। सरकारी सब्सिडी और सार्वजनिक-निजी साझेदारी से अपनाने में तेजी आएगी।
- **APVs के लिए नीतिगत समर्थन:** भारत की सौर ऊर्जा नीतियों को राष्ट्रीय कृषि रणनीतियों में APVs को सम्मिलित करना चाहिए।

Source: TH

जैव विविधता तक पहुँच और लाभ साझा करने के लिए नए नियम

संदर्भ

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने जैविक विविधता (जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े ज्ञान

- तक पहुँच और लाभों का न्यायसंगत एवं समान साझाकरण) विनियमन, 2025 को अधिसूचित किया है।
- ▲ इन नियमों को जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों के साझाकरण को सुव्यवस्थित और विनियमित करने के लिए अधिसूचित किया गया है।

पहुँच और लाभ साझाकरण (ABS) क्या है?

- ABS एक तंत्र है जिसके माध्यम से जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों को उन्हें संरक्षित करने वाले समुदायों के साथ न्यायसंगत और समान रूप से साझा किया जाता है।
- यह जैविक विविधता संधि (CBD) के अंतर्गत एक सिद्धांत है।
- भारत इसे जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और उसके हालिया संशोधन जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से लागू करता है।

2025 विनियमन के प्रमुख प्रावधान

- **टर्नओवर आधारित लाभ साझाकरण:**
 - ▲ ₹5 करोड़ से कम: लाभ साझाकरण से मुक्त।
 - ▲ ₹5 करोड़-₹50 करोड़: वार्षिक सकल फैक्ट्री विक्री मूल्य (करों को छोड़कर) का 0.2%।
 - ▲ ₹50 करोड़-₹250 करोड़: वार्षिक टर्नओवर का 0.4%।
 - ▲ ₹250 करोड़ से अधिक: वार्षिक टर्नओवर का 0.6%।
 - ▲ ₹1 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले संस्थाओं को संसाधन उपयोग पर वार्षिक विवरण दाखिल करना आवश्यक।
- **डिजिटल सीकरेंस इंफॉर्मेशन (DSI) का समावेश:** DSI को अब आनुवंशिक संसाधनों का हिस्सा माना गया है, जिससे पहले केवल भौतिक सामग्रियों तक सीमित नियमों की कमी को दूर किया गया।
 - ▲ यह कोलंबिया के काली में हुए जैविक विविधता संधि (CBD) के COP16 परिणामों के अनुरूप है।

- **चिकित्सीय पौधों में छूट:** यदि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयुष मंत्रालय के साथ परामर्श कर अधिसूचित किया जाता है, तो संवर्धित औषधीय पौधों को विनियमन से छूट दी गई है।
- **उच्च-मूल्य वाले संसाधनों के लिए प्रावधान:** उच्च संरक्षण/आर्थिक मूल्य वाले संसाधन (रेड सैंडर्स, चंदन, अगरबुड़ और संकटग्रस्त प्रजातियाँ) के लिए, नीलामी/बिक्री से प्राप्त आय का न्यूनतम 5% साझा किया जाना अनिवार्य।
 - व्यावसायिक शोषण के मामले में यह 20% तक हो सकता है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR):** बायोडायवर्सिटी से जुड़े IPR के आवेदकों को जैविक संसाधनों के उपयोग को प्रकट करना होगा और लाभों को उचित रूप से साझा करना होगा।
- **लाभों का वितरण:** 10-15% राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा रखा जाएगा।
 - शेष लाभ स्थानीय समुदायों और दावेदारों को जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMCs) के माध्यम से वितरित किए जाएंगे।

नए विनियमन का महत्व

- नियामकीय खामियों को दूर करता है: इसमें DSI शामिल है, जिसे पहले 2014 दिशानिर्देशों में बाहर रखा गया था।
- **पारदर्शिता:** सुस्पष्ट स्लैब औषधि, सौंदर्य प्रसाधन और जैव-प्रौद्योगिकी जैसे उद्योगों के लिए भविष्यवाणी योग्य दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।
- **संवर्धन को प्रोत्साहित करता है:** जंगली स्रोतों से दोहन के बजाय औषधीय पौधों के संवर्धन को बढ़ावा देता है।

नागोया प्रोटोकॉल

- आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच और उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा (ABS) पर नागोया प्रोटोकॉल जैविक विविधता पर कन्वेशन (CBD) का एक पूरक समझौता है।

- यह CBD के तीन उद्देश्यों में से एक के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक पारदर्शी कानूनी ढांचा प्रदान करता है: आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा।
- इसे 2010 में नागोया, जापान में अपनाया गया था और 2014 में लागू हुआ था।

Source: DTE

संक्षिप्त समाचार

चेनाब नदी

समाचार में

- भारत ने इंडस संधि के निलंबन के पश्चात जम्मू और कश्मीर में बगलिहार और सालाल जलविद्युत बाँधों पर चेनाब नदी के जल प्रवाह को सीमित कर दिया है। चेनाब सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है और पाकिस्तान में प्रवाहित होती है।

चेनाब नदी के बारे में

उत्पत्ति:

- यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के टांडी में चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के संगम से बनती है।
- ऊपरी इलाकों में इसे चंद्रा-भागा के नाम से जाना जाता है, जबकि नीचे की ओर यह चेनाब बन जाती है।

प्रवाह पथ:

- यह जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है।
- इसके बाद पाकिस्तान में सतलुज नदी से मिलकर पंजनद का निर्माण करती है, जो अंततः मिथनकोट पर सिंधु नदी में प्रवाहित होती है।

उपनदियाँ:

- **दाहिना तट:** मारुसुदर (सबसे बड़ी उपनदी), मियार नल्ला, भूत नल्ला और कलनई।
- **बायाँ तट:** नीरू, तवी, नीरू और लिदरा।

चुनाव नदी पर प्रमुख जलविद्युत परियोजनाएँ:

- सालाल जलविद्युत परियोजना (रियासी में)
- बगलिहार जलविद्युत परियोजना (रामबन में)
- दुल हस्ती जलविद्युत संयंत्र (किश्तवाड़ जिले में)
- रतले जलविद्युत संयंत्र (किश्तवाड़ जिले के दरबशल्ला में)

Source: TOI

कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP)

समाचार में

- भारत की राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरण (NDSA) ने कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (KLIP) के तीन बैराजों की संरचनाओं में अप्रतिसंहतनीय क्षति की रिपोर्ट दी है।
 - NDSA राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जिसे बाँध सुरक्षा नियमन, समन्वय और आपदा प्रत्यास्थता के लिए स्थापित किया गया है।

परिचय

- गोदावरी पर कालेश्वरम परियोजना विश्व की सबसे बड़ी बहु-स्तरीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है।
 - लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं में जल को गुरुत्वाकर्षण द्वारा नहीं पहुँचाया जाता। इसके बजाय, पंपों या सर्ज पूलों के माध्यम से इसे परियोजना के उच्चतम बिंदु पर मुख्य वितरण कक्ष तक उठाया जाता है, जहाँ से इसे सिंचाई के लिए खेतों में वितरित किया जाता है।
- इसका उद्देश्य गोदावरी नदी और इसकी सहायक नदियों के जल का उपयोग सिंचाई, औद्योगिक और अन्य प्रयोजनों के लिए करना है।
 - गोदावरी नदी इसे दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है।
 - यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है।

- यह 500 किलोमीटर तक 13 जिलों में फैली है और 1,800 किलोमीटर से अधिक के विस्तृत नहर नेटवर्क का उपयोग करती है।

Source :IE

ECINET: ECI का वन-स्टॉप इलेक्ट्रोल टेक प्लेटफॉर्म

संदर्भ

- भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) ने ECINET नामक एकल-बिंदु ऐप की घोषणा की है, जो मतदाताओं और अन्य हितधारकों जैसे चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों एवं नागरिक समाज के लिए उपयोगी होगा।

ECINET के बारे में

- उद्देश्य:** एकल मंच, जो EC के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब ऐप्स को एकीकृत और सुव्यवस्थित करेगा।
 - एक ही उपयोगकर्ता अनुकूल प्लेटफॉर्म पर आसान नेविगेशन, जिससे कई लॉगिन की आवश्यकता समाप्त होगी।
- सटीक डेटा सुनिश्चित करने के लिए:** ECINET में डेटा केवल अधिकृत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों द्वारा दर्ज किया जाएगा ताकि सटीकता बनाए रखी जा सके।
- एकीकृत किए जा रहे प्रमुख ऐप्स:** वोटर हेल्पलाइन, वोटर टर्नआउट, cVIGIL, सुविधा 2.0, ESMS, सक्षम, और KYC – जिनके कुल 5.5 करोड़ से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं।
- विकास प्रक्रिया:** मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार द्वारा परिकल्पित।
- पहुँच:** यह नया कदम लगभग 100 करोड़ मतदाताओं और संपूर्ण चुनाव प्रशासन को लाभ पहुँचाने की संभावना है।

Source: TH

मुक्त आवागमन व्यवस्था

समाचार में

- यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) ने भारत-म्यांमार सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR) की पुनर्स्थापना की मांग की है।

मुक्त आवाजाही व्यवस्था (FMR)

- शुरुआत:** इसे 1968 में भारत-म्यांमार सीमा के साथ जातीय और पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने के लिए पेश किया गया।
- विज्ञा-मुक्त यात्रा सीमा:** पहले 40 किलोमीटर तक की वीजा-मुक्त यात्रा की अनुमति थी, जिसे 2004 में 16 किलोमीटर और अब 10 किलोमीटर तक सीमित कर दिया गया है।
 - बायोमेट्रिक डेटा संग्रहित किया जाता है और केंद्रीय डेटाबेस के साथ सत्यापित किया जाता है।
 - पहली स्तर की जाँच असम राइफल्स द्वारा की जाती है, जबकि सीमा से सटे राज्यों की पुलिस स्थानीय सुरक्षा जाँच करती है।
- सीमा पास की वैधता:** सीमा पास सात दिनों के लिए वैध होता है।
 - दूसरे चरण में 21 नए सीमा चौकियों को जोड़ा जाएगा।

क्या आप जानते हैं?

भारत-म्यांमार सीमा अरुणाचल प्रदेश (520 किमी), नागालैंड (215 किमी), मणिपुर (398 किमी) और मिजोरम (510 किमी) राज्यों के साथ चलती है।

Source :TH

भारत-बेल्जियम साझेदारी

संदर्भ

- भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने ब्रसेल्स में बेल्जियम के रक्षा और विदेशी व्यापार मंत्री के साथ

बैठक की ताकि भारत-बेल्जियम साझेदारी को मजबूत किया जा सके।

परिचय

- भारत और बेल्जियम ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने, औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने और रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की।
 - अर्धचालक, स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा उत्पादन और फार्मा प्रमुख क्षेत्र हैं।
- बेल्जियम यूरोपीय संघ (EU) में भारत का पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसमें 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 15.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
- बेल्जियम का भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक 3.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है।
 - पिछले वर्ष में इसमें 39% की वृद्धि दर्ज की गई।
- भारत-बेल्जियम लक्ज़मबर्ग आर्थिक संघ (BLEU) दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को गहरा करने का एक प्रभावशाली साधन है।

Source: AIR

भारत MICE पर्यटन की राजधानी बनने की ओर अग्रसर

संदर्भ

- केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री ने कहा कि भारत MICE (मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन) पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनने के लिए तैयार है।

परिचय

- MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) पर्यटन और आतिथ्य उद्योग का एक विशेष क्षेत्र है, जो व्यावसायिक आयोजनों के आयोजन तथा मेजबानी पर केंद्रित होता है।
 - इसे 'मीटिंग्स इंडस्ट्री' या 'इवेंट्स इंडस्ट्री' भी कहा जाता है।

- भारत का MICE बाजार 2024 में 49,402.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व उत्पन्न कर चुका है और 2030 तक 103,686.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की संभावना है, जिसमें 13% की वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की गई है।

MICE के समर्थन में अवसंरचना वृद्धि

- परिवहन संपर्क:** विगत दशक में 1.5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया।
 - रेलवे बुनियादी ढाँचे का विस्तार, जिसमें अर्ध-उच्च गति ट्रेनें शामिल हैं।
 - आंतरिक जलमार्ग और माल परिवहन में वृद्धि।
 - 150 से अधिक परिचालित हवाई अड्डे, जो देशी और अंतरराष्ट्रीय यात्रा को बेहतर बनाते हैं।
- आवास और आयोजन सुविधाएँ:** विभिन्न श्रेणियों में 2.48 मिलियन से अधिक होटल कमरे।
 - विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्र, जैसे भारत मंडपम, यशोभूमि, हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र।
- पर्यटन मंत्रालय ने 'Meet in India' नामक एक समर्पित ब्रांड लॉन्च किया है, जो भारत को MICE गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

Source: PIB

स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म

समाचार में

- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान-परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया।

स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म

- विकास:** इसे DRDO के एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, आगरा द्वारा विकसित किया गया है।
- उड़ान विवरण:** एयरशिप को एक यंत्रयुक्त पेलोड के साथ लॉन्च किया गया, और यह लगभग 17 किमी की ऊँचाई तक पहुँचा।
 - कुल उड़ान अवधि 62 मिनट रही।

- तकनीकी उपलब्धि:** ऑनबोर्ड सेंसर ने भविष्य के उच्च-ऊँचाई वाले एयरशिप उड़ानों के लिए उच्च-निष्ठा सिमुलेशन मॉडल विकसित करने हेतु मूल्यवान डेटा प्रदान किया।
 - उड़ान के दौरान एनवलप प्रेशर नियंत्रण और आपातकालीन डिफ्लेशन सिस्टम का परीक्षण किया गया।
 - प्रणाली को आगे की जाँच के लिए पुनर्प्राप्त किया गया।
- महत्व**
 - यह भारत की पृथ्वी अवलोकन और खुफिया, निगरानी एवं टोही क्षमताओं को बढ़ाएगा, जिससे देश उन कुछ देशों में शामिल होगा, जिनके पास ऐसी स्वदेशी क्षमताएँ हैं।

Source :PIB

इगला-एस मिसाइलें

समाचार में

- भारतीय सेना को रूसी निर्मित इगला-एस मिसाइलों की नई आपूर्ति प्राप्त हुई है।

इगला-एस मिसाइलों के बारे में

- इगला-एस रूसी निर्मित मैन-पर्टेंबल एयर-डिफेंस सिस्टम (MANPADS) है, जिसे निम्न-उड़ान वाले विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
- मिसाइल इन्फ्रारेड (IR) होमिंग का उपयोग करती है, जिससे हवाई लक्ष्यों की ऊष्मा पहचान कर लॉक किया जाता है।
- द्वि-बैंड IR सीकर के कारण यह जैमिंग और डिकॉय फ्लैर्यस के प्रति अधिक प्रतिरोधी क्षमता रखती है।
- 6 किमी. तक की दूरी और 3.5 किमी तक की ऊँचाई पर लक्ष्यों को भेदने में सक्षम।
- इगला-एस इगला मिसाइल प्रणाली का उन्नत संस्करण है, जो 1990 के दशक से सेवा में रही है।

Source: TOI

मिथ्रिडेटिज्म

संदर्भ

- वैज्ञानिकों ने एक ऐसे व्यक्ति के रक्त से एक “अद्वितीय” विष-निरोधक दवा विकसित की है, जिसने लगभग दो दशकों तक जानबूझकर स्वयं को सांप का जहर इंजेक्ट किया था।

मिथ्रिडेटिज्म क्या है?

- मिथ्रिडेटिज्म एक ऐसी प्रथा है जिसमें किसी विष के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण धीरे-धीरे उस विष की गैर-घातक खुराकों को स्वयं प्रशासित करके किया जाता है।
- यह शब्द पोंटस के राजा मिथ्रिडेट्स VI से लिया गया है, जिन्होंने कथित तौर पर स्वयं को जहर से बचाने के लिए इस पद्धति का अभ्यास किया था।

विष-रोधी दवा विकसित करने की रणनीति

- एंटीवेनम:** एंटीवेनम विष या विष घटकों के विरुद्ध शुद्ध एंटीबॉडी होते हैं। एंटीवेनम जानवरों द्वारा इंजेक्ट किए गए विष के प्रति एंटीबॉडी से बनाए जाते हैं।
 - वे WHO की आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल हैं।
- एंटीवेनम बनाने की प्रक्रिया:** जीवन रक्षक एंटीवेनम बनाने के लिए, वैज्ञानिक घोड़ों की सहायता लेते हैं।
 - उन्हें विष की एक छोटी, हानिरहित खुराक इंजेक्ट की जाती है, जिससे उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडी प्रोटीन का उत्पादन करती है जो विष विषाक्त पदार्थों पर हमला करती है और उन्हें निष्क्रिय कर देती है।
 - फिर एंटीबॉडी एकत्र की जाती हैं और उन लोगों के उपचार के लिए उपयोग की जाती हैं जिन्हें काटा या डंक मारा गया है।

Source: TH

खेलो इंडिया युवा खेलों का 7वाँ संस्करण

संदर्भ

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का वर्चुअल उद्घाटन किया।

परिचय

- खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जिसे 14 अक्टूबर 2017 को लॉन्च किया गया था।
- खेलो इंडिया का उद्देश्य जन भागीदारी बढ़ाना और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।
- इस कार्यक्रम ने भारत की खेल उपलब्धियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें कई खेलो इंडिया एथलीट्स ने ओलंपिक्स और एशियाई खेलों जैसे वैश्विक आयोजनों में देश का प्रतिनिधित्व किया।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG) 2025

- यह युवा मामले और खेल मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है और 4 से 15 मई तक आयोजित किया जा रहा है।
- बिहार पाँच शहरों - पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में मेजबानी कर रहा है।
 - नई दिल्ली शूटिंग, जिम्नास्टिक्स और ट्रैक साइकलिंग स्पर्धाओं की मेजबानी करेगा।
 - 7वें संस्करण का शुभंकर “गजसिंह” है, जो हाथी की शक्ति और शेर के साहस का प्रतीक है और पाला वंश की नक्काशियों से प्रेरित है।
- इसमें कुल 27 खेल शामिल होंगे, और पहली बार ईस्पोर्ट्स को डेमोस्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा, KIYG कार्यक्रम में पहली बार सेपकटंगा को पदक स्पर्धा के रूप में जोड़ा गया है।

खेलो इंडिया खेलों के प्रकार

- खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत चार प्रमुख कार्यक्रम हैं:
 - खेलो इंडिया यूथ गेम्स (KIYG) – स्कूल और जूनियर एथलीटों के लिए
 - खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (KIUG) – विश्वविद्यालय स्तर के एथलीटों के लिए
 - खेलो इंडिया पैरा गेम्स (KIPG) – पैरा-एथलीटों के लिए
 - खेलो इंडिया विंटर गेम्स (KIWG) – शीतकालीन खेलों के प्रति उत्साही लोगों के लिए

Source: PIB